न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

आज्ञा – पत्र

सारू बाई बनाम जमनालाल किस्म मुकदमा –225 (212) अपील संख्या – 2026/

अभिभाषक अपीलांट – श्री इमरान खान अभि0 रेस्पो0 –

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
५.५.26	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर अपील को नोट प्रेस में खारिज किये जाने का निवेदन किया। इस हेतु अभिभाषक अपीलांट द्वारा आदेशिका में नोट प्रेस अंकित कर अपने हस्ताक्षर भी किये। ~~[illegible]~~ अभिभाषक अपीलांट के निवेदन को स्वीकार किया जाकर पत्रावली 'नोटप्रेस' में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। **(दीप्ति रामचन्द्र मीना)** **भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन** **राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा**	Not Press (रुखसार सईद)

न्यायालय भू प्रबन्धक अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील क्रमांक /2026

1- सारू बाई पत्नि प्रभुलाल लोधा निवासी खेडी जागीर तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड़

2- बीरम पुत्र प्रभुलाल लोधा

3- चन्द्रकला बाई पुत्री प्रभुलाल लोधा

4- गोपाल पुत्र मांग्या लोधा

5- भवंरी बाई पुत्री मांग्या लोधा

6- जडाव बाई पुत्री मांग्या लोधा

7- कोशल्या बाई पुत्र मांग्या लोधा

8- संतोष बाई पुत्री मांग्या

जाति लोधा निवासी खेडी जागीर तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड़- प्रार्थीगण

बनाम

1- जमनालाल पुत्र बीरम लोधा निवासी दीगोद जागीर तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड़

2- हेमराज पुत्र बीरम लोधा

3- नवल किशोर पुत्र बीरम लोधा

4- रामदयाल पुत्र बीरम लोधा

5- मोहनलाल पुत्र किशना लोधा

6- गुलाब चन्द पुत्र किशना लोधा

7- राम प्रसाद पुत्र किशना

8- ललता बाई पुत्री किशना लोधा

9- केला बाई पुत्री किशना

10- पाना बाई पुत्री किशना निवासी दीगोद जागीर तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड़

11- राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मनोहरथाना जिला झालावाड़ -प्रतिपक्षीगण

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 05.02.2026 न्यायालय सहायक जिला कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना जिला झालावाड़ बाबत केस सं0 30/2025 उनवानी सारू बाई आदि बनाम जमनालाल आदि प्रार्थना पत्र विविध धारा 212 रा0टे0ए0

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मान्यवर,

अपीलान्ट निम्न विनयी हैं,-

संक्षिप्त मे अपील के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम खेडी जागीर तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड़ मे खाता सं0 नया 11 पुराना 10 की कुल 10 किता की 23 बीघा 11 बिस्वा अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संयुक्त खातेदारी मे दर्ज थी, जिसमे पक्षकारान का बराबर हिस्सा दर्ज था, प्रशासन गावो की ओर राजस्व अभियान 2010 मे दिनांक 08.11.2011 को प्रार्थीगण के वालिद मांग्या एव अप्रार्थीगण के पिता किशना ने अपनी इच्छा से अपना खाता विभाजन करवा कर 1। 2 1। 2 अआराजी पृथक खाते दर्ज करवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया, लेकिन किशना ने राजस्व कर्मचारियो से मिल कर उसके हिस्से की 1। 2 अर्थात 11 बीघा 16 बिस्वा के स्थान पर 14 बीघा 7 बिस्वा आराजी दर्ज करवा ली, मृतक मांग्या के खाते 11 बीघा 16 बिस्वा के बजाय 9 बीघा 1 बिस्वा आराजी दर्ज करवा दी। अपीलान्ट का इस आराजी पर कब्जा चला आ रहा है। उपरोक्त त्रुटि राजस्व कर्मचारियो की थी, आराजी के विषय मे न्यायालय मे प्रकरण लम्बित रहते हुए अप्रार्थीगण ने कानून का उल्लंघन कर अपना नाम दर्ज कराया है, अब अप्रार्थीगण उसके आधार पर आराजी रहन, बेचान अन्तरण करने पर आमादा है, जिसे ता फैसला वाद निषिद्ध किया जावे।